[2018] 3 उम. नि. प. 140

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

मनोज शर्मा और अन्य

तथा

मध्य प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

आलोक त्रिपाठी और अन्य

25 जनवरी, 2018

न्यायमूर्ति ए. के. सीकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 16 [सपठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26(1)(ङ), (छ) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री देने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 का विनियम 5 और 3] – प्राध्यापकों की नियुक्ति – पात्रता – दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से डिग्री अभिप्राप्त करने के आधार पर आवेदन अस्वीकार किया जाना – चूंकि 2009 के विनियमों के विनियम 5 द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से एम.फिल./पीएच.डी. डिग्री पाठ्यक्रम के संचालन से प्रतिषिद्ध किया गया था और विनियम 3 में इन विनियमों को उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में लाया गया था इसलिए ये विनियम भविष्यलक्षी प्रकृति के हैं और इन विनियमों के प्रवर्तन से पूर्व अभिप्राप्त एम.फिल. अर्हता को रद्द नहीं किया जा सकता है ।

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 16 [सपठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26(1)(ङ), (छ), 14 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (सहबद्ध विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति और कैरियर उत्कर्ष के लिए न्यूनतम अर्हताएं) विनियम, 2009 का विनियम 1.3.3] – प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए पात्रता – प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए, 2009 के विनियमों के अनुपालन में पीएच.डी. डिग्री धारकों को छूट सहित न्यूनतम पात्रता नेट अर्हता होने के कारण 2009 के विनियमों के प्रवर्तन में आने से पूर्व दूरस्थ शिक्षा पद्धति

के माध्यम से डिग्री अभिप्राप्त करने वाले प्राध्यापकों की पात्रता के संबंध में 2009 के विनियमों के अनुसार ही विचार किया जाना चाहिए ।

प्रस्तुत मामले में रिट याचियों ने दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों से 11 जुलाई, 2009 से पूर्व (वर्ष 2007 से वर्ष 2009 के दौरान) एम. फिल. उत्तीर्ण किया था । रिट याचियों को वर्ष 2009 से पूर्व भिन्न-भिन्न सरकारी/अर्ध-सरकारी महाविद्यालयों में अतिथि प्राध्यापक (गैस्ट लैक्चरार) के रूप में नियोजित किया गया था । मध्य प्रदेश सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग ने "शैक्षणिक सत्र 2011-12 की शेष अवधि और आगामी सत्रों के लिए सरकारी महाविद्यालयों में अतिथि प्राध्यापकों की व्यवस्था" विषय पर तारीख 22 फरवरी, 2012 को एक आदेश जारी किया । उस आदेश में चयन के लिए मानदंड का उपबंध किया गया था, जिसके अधीन पीएच.डी और एन.ई.टी (नेट)/एस.ई.टी. (सेट), एम. फिल और नेट /सेट के लिए भिन्न-भिन्न अंक आबंटित किए गए थे । प्रादेशिक अपर निदेशक, उच्चतर शिक्षा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश ने तारीख 21 अप्रैल, 2012 का एक विज्ञापन जारी किया जिसके द्वारा विभिन्न विषयों में अतिथि प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे । रिट याचियों ने आनलाइन माध्यम से अतिथि प्राध्यापक के विभिन्न पदों के लिए आवेदन किए थे । उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए गए थे । पूछताछ करने पर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे अभ्यर्थी अर्हित नहीं हैं, जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के मांध्यम से एम. फिल. डिग्री अभिप्राप्त की थी । उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश द्वारा प्रत्यर्थियों को यह निदेश दिया कि अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र को स्वीकार कर लिया जाए और अभ्यर्थियों के परिणाम को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए । रिट याचियों ने अंतरिम आदेश के बल पर अपने-अपने आवेदन प्रस्तुत किए । विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा यह अभिनिर्धारित करते हुए अंतिम रूप से निपटारा कर दिया गया कि वे अभ्यर्थी पात्र हैं, जिन्होंने विनियम, 2009, अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल. /पीएच.डी. डिग्री देने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के पूर्व एम. फिल. अर्हता अभिप्राप्त कर ली है, और उनका परिणाम घोषित कर दिया जाए । मध्य प्रदेश राज्य ने विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णयों के विरुद्ध रिट अपील फाइल की और उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने वह अपील खारिज कर दी । राज्य ने खंड न्यायपीठ के निर्णय के विरुद्ध यह अपील फाइल की है । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों का तद्नुसार निपटारा करते हुए,

अभिनिर्धारित – विद्वान् एकल न्यायाधीश और खंड न्यायपीठ ने यह मत अपनाया कि न्यूनतम मानकों और प्रक्रिया से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2009 के विनियमों के अनुसार, 11 जुलाई, 2009 से ही किसी विश्वविद्यालय, संस्था या मानित विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से एम. फिल./पीएच.डी. का संचालन करने से प्रतिषिद्ध किया गया था इसलिए, उक्त विनियम के प्रवर्तन से पूर्व अभिप्राप्त की गई डिग्री रद्द नहीं हो गई है । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यू.जी.सी.(न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 भविष्यलक्षी प्रकृति के हैं और वे भूतलक्षी रूप से प्रवृत्त नहीं होंगे । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि चूंकि यू.जी.सी.(न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 भूतलक्षी रूप से लागू नहीं होते हैं इसलिए उपर्युक्त विनियम से पूर्व रिट याचियों द्वारा पहले से अर्जित एम.फिल. अर्हता रद्द नहीं हो जाएगी । यू.जी.सी.(न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 के अधीन विनियम 3 में स्पष्ट रूप से इस विनियम को राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होने का उपबंध किया गया है । अतः, यह स्पष्ट है कि ये विनियम भविष्यलक्षी प्रकृति के हैं और इससे किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा इन विनियमों के प्रवर्तन से पूर्व अनुदत्त अर्हताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । अतः, विद्वान् एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी को यह निदेश देकर ठीक ही किया है कि रिट याचियों के मामले पर एम. फिल. डिग्री के आधार पर विचार किया जाए और उनके परिणाम को अन्य अभ्यर्थियों के साथ घोषित किया जाए । (पैरा 11, 12 और 13)

प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अब नेट अर्हता न्यूनतम अर्हता है और एम. फिल. डिग्री धारकों को अनुदत्त छूट वापस ले ली गई है और छूट केवल ऐसे पीएच.डी. डिग्री धारकों को अनुज्ञात है जिन्होंने 11 जुलाई, 2009 के विनियमों, अर्थात् यू.जी.सी. (न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. डिग्री अभिप्राप्त की है । यद्यपि, उच्च न्यायालय द्वारा इस पहलू की अवेक्षा नहीं की गई है किन्तु चूंकि विद्वान् एकल न्यायाधीश ने रिट याची के मामले पर ऐसी एम. फिल. डिग्री के आधार पर, जो कि उनके द्वारा दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा वर्ष 2009 से पूर्व अभिप्राप्त की गई थी, विचार करने का निदेश दिया है इसलिए यह आवश्यक है कि उस पद के लिए उनकी पात्रता की परीक्षा यू.जी.सी. (नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता) विनियम 2009 पर विचार करते हुए की

जाए । अतिथि प्राध्यापकों के लिए विज्ञापन और चयन का संचालन वर्ष 2012 में किया गया था जब यू.जी.सी. (न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 और यू.जी.सी. (नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता) विनियम, 2009 दोनों लागू थे । अतः, इस अपील में उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि, अपीलों का निपटारा इस निदेश के साथ किया जाता है कि रिट याची की पात्रता के संबंध में यू.जी.सी. (नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता) विनियम 2009 को भी विचार में लेते हुए किया जाए । (पैरा 20 और 22)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2015] (2015) 8 एस. सी. सी. 129 :
पी. सुशीला और अन्य बनाम **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य** ; 18

[2013] (2013) 4 इलाहाबाद ला जर्नल 635 :
डा. रमेश कुमार यादव और एक अन्य बनाम **इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य ।** 18

सिविल अपीली अधिकारिता : 2018 की सिविल अपील सं. 871 और 872.

2012 की रिट अपील सं. 712 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर न्यायपीठ के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सुश्री प्राची मिश्रा, सर्वश्री अर्जुन गर्ग, चैतन्य और सौरभ मिश्रा

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री निखिलेश रामचन्द्रन(उपस्थित नहीं)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने दिया ।

न्या. भूषण – इजाजत दी जाती है ।

2. ये दो अपीलें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के क्रमशः तारीख 5 दिसम्बर, 2012 और 17 जनवरी, 2013 के समरूप भाषा वाले निर्णयों के विरुद्ध फाइल की गई हैं जिनके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य द्वारा फाइल की गई अपील खारिज कर दी गई थी । इन दोनों अपीलों में तथ्य और विवाद्यक

सामान्य होने के कारण, दोनों अपीलों को विनिश्चित करने के लिए 2017 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) सं. 26528 से उद्भूत होने वाली सिविल अपील में के तथ्यों और अभिवचनों के प्रति निर्देश करना पर्याप्त है । पक्षकारों को उस रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा जिस रूप में वे रिट याचिका में वर्णित हैं ।

3. रिट याचियों ने दूरस्थ शिक्षा के अधीन भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों से 11 जुलाई, 2009 से पूर्व (वर्ष 2007 से वर्ष 2009 के दौरान) एम. फिल. उत्तीर्ण किया था । रिट याचियों को वर्ष 2009 से पूर्व भिन्न-भिन्न सरकारी/अर्ध-सरकारी महाविद्यालयों में अतिथि प्राध्यापक (गैस्ट लैक्चरार) के रूप में नियोजित किया गया था । मध्य प्रदेश सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग ने "शैक्षणिक सत्र 2011-12 की शेष अवधि और आगामी सत्रों के लिए सरकारी महाविद्यालयों में अतिथि प्राध्यापकों की व्यवस्था" विषय पर तारीख 22 फरवरी, 2012 को एक आदेश जारी किया ।

4. सरकारी आदेश में चयन के लिए मानदंड का उपबंध किया गया था, जिसके अधीन पीएच.डी और एन.ई.टी(नेट)/एस.ई.टी.(सेट), एम. फिल और नेट/सेट के लिए भिन्न-भिन्न अंक आबंटित किए गए थे । प्रादेशिक अपर निदेशक, उच्चतर शिक्षा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश ने तारीख 21 अप्रैल, 2012 का एक विज्ञापन जारी किया जिसके द्वारा विभिन्न विषयों में अतिथि प्राध्यापक के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे । रिट याचियों ने आनलाइन माध्यम से अतिथि प्राध्यापक के विभिन्न पदों के लिए आवेदन किए थे । उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए गए थे । पूछताछ करने पर उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे अभ्यर्थी अर्हित नहीं हैं, जिन्होंने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से एम. फिल. डिग्री अभिप्राप्त की थी ।

5. **मनोज शर्मा और अन्य** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1], फाइल की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने तारीख 14 मई, 2012 को अंतरिम आदेश पारित किया था और प्रत्यर्थियों को यह निदेश दिया गया था कि अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र को स्वीकार कर लिया जाए और अभ्यर्थियों के परिणाम को सीलबंद लिफाफे में रखा जाए ।

6. रिट याचियों ने अंतरिम आदेश के बल पर अपने-अपने आवेदन प्रस्तुत किए । विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 29 अगस्त, 2012 को

[1] 2012 की रिट याचिका सं. 3290.

मनोज शर्मा और अन्य बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1], का यह अभिनिर्धारित करते हुए अंतिम रूप से निपटारा कर दिया गया कि वे अभ्यर्थी पात्र हैं, जिन्होंने विनियम, 2009, अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./ पीएच.डी. डिग्री देने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 [जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "यू.जी.सी. (न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009" कहा गया है] के पूर्व एम. फिल. अर्हता अभिप्राप्त कर ली है, और उनका परिणाम घोषित कर दिया जाए । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित निदेश जारी किए :–

> "इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया जाता है कि यद्यपि याची के मामले पर विचार किया गया था तथापि अंतरिम आदेश द्वारा यह निदेश दिया गया था कि उसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा । अब अंतिम आदेश पारित किया जाता है । याची को पात्र पाया गया है इसलिए प्रत्यर्थी याची के मामले पर उपर्युक्त मास्टर ऑफ फिसाल्फी प्रमाण-पत्र के आधार पर पात्र अभ्यर्थी के रूप में विचार करेंगे और अन्य अभ्यर्थियों के साथ-साथ उसका परिणाम भी घोषित करेंगे ।"

7. मध्य प्रदेश राज्य ने विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णयों के विरुद्ध रिट अपील फाइल की और उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने तारीख 5 दिसम्बर, 2012 के अपने निर्णय द्वारा वह अपील खारिज कर दी । राज्य ने खंड न्यायपीठ के निर्णय के विरुद्ध यह अपील फाइल की है ।

8. अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल ने यह दलील दी है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विरचित विनियमों, यू.जी.सी. (न्यूनतम स्तर और प्रक्रिया) विनियम, 2009, को ध्यान में रखते हुए, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से आयोजित एम. फिल./ पीएच.डी. कार्यक्रम स्वीकार्य नहीं हैं । उसने यह दलील दी कि चूंकि रिट याचियों की एम.फिल. डिग्री दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा प्राप्त की गई थी इसलिए वे अतिथि प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता पूरी नहीं करते हैं और विद्वान् एकल न्यायाधीश और खंड न्यायपीठ का निर्णय, जिसमें प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया गया है, कायम रखे जाने योग्य नहीं है ।

9. सुनवाई के समय प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं

---

[1] 2012 की रिट याचिका सं. 3290.

हुआ । यद्यपि प्रत्यर्थी सं. 1, मनोज शर्मा की ओर से एक प्रति-शपथपत्र फाइल किया गया है, जिसमें विद्वान् एकल न्यायाधीश और खंड न्यायपीठ द्वारा अपनाए गए मत का समर्थन किया गया है । हमने अपीलार्थी के विद्वान् काउन्सेल की दलील पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है ।

10. न्यूनतम मानकों और प्रक्रिया से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2009 के विनियम भारत के राजपत्र में तारीख 11 जुलाई, 2009 को प्रकाशित किए गए थे । विनियम 5, जो कि सुसंगत है, निम्नलिखित रूप में है :–

> *"विनियम 5. इन विनियमों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियम या विनियम में किसी बात के होते हुए भी, कोई विश्वविद्यालय, संस्था, मानित विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का महाविद्यालय/संस्था दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से एम. फिल. और पीएच.डी. कार्यक्रमों का संचालन नहीं करेगा ।"

11. विद्वान् एकल न्यायाधीश और खंड न्यायपीठ ने यह मत अपनाया कि न्यूनतम मानकों और प्रक्रिया से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2009 के विनियमों के अनुसार, 11 जुलाई, 2009 से ही किसी विश्वविद्यालय, संस्था या मानित विश्वविद्यालय को दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से एम.फिल./पीएच.डी. का संचालन करने से प्रतिषिद्ध किया गया था इसलिए, उक्त विनियम के प्रवर्तन से पूर्व अभिप्राप्त की गई डिग्री रद्द नहीं हो गई है । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यू.जी.सी.(न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 भविष्यलक्षी प्रकृति के हैं और वे भूतलक्षी रूप से प्रवृत्त नहीं होंगे । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि चूंकि यू.जी.सी. (न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 भूतलक्षी रूप से लागू नहीं होते हैं इसलिए

---

* अंग्रेज़ी में यह इस प्रकार है :–

> "Regulation 5. Notwithstanding anything contained in these Regulations or any other Rule or regulation, for the time being in force, no University, Institution, Deemed to be University and College/Institution of National Importance shall conduct M.Phil and Ph.D Programmes through distance education mode."

उपर्युक्त विनियम से पूर्व रिट याचियों द्वारा पहले से अर्जित एम.फिल. अर्हता रद्द नहीं हो जाएगी ।

12. यू.जी.सी. (न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 के अधीन विनियम 3 में स्पष्ट रूप से इस विनियम को राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होने का उपबंध किया गया है । विनियम 3 निम्नलिखित रूप में है :–

*"ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।"

13. अतः, यह स्पष्ट है कि ये विनियम भविष्यलक्षी प्रकृति के हैं और इससे किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा इन विनियमों के प्रवर्तन से पूर्व अनुदत्त अर्हताओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । अतः, हमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । अतः, विद्वान् एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी को यह निदेश देकर ठीक ही किया है कि रिट याचियों के मामले पर एम. फिल. डिग्री के आधार पर विचार किया जाए और उनके परिणाम को अन्य अभ्यर्थियों के साथ घोषित किया जाए ।

14. इस प्रक्रम पर एक अन्य विवाद्यक की अवेक्षा की जानी आवश्यक है । उसी दिन, जब एम.फिल. /पीएच.डी. डिग्री देने के लिए मानक स्तर और प्रक्रिया से संबंधित विनियम प्रकाशित किए गए थे, राजपत्र में उसी दिन, अर्थात्, 11 जुलाई, 2009 को एक अन्य विनियम प्रकाशित किए गए थे, अर्थात्, यू.जी.सी. (सहबद्ध विश्वविद्यालयों और संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति और कैरियर उत्कर्ष के लिए न्यूनतम अर्हताएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2009 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "यू.जी.सी. (नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं) विनियम, 2009" कहा गया है) ।

15. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्राध्यापक के पद के लिए न्यूनतम अर्हताओं से संबंधित विनियम वर्ष 2000 में जारी किए थे और जिन्हें वर्ष 2002 और वर्ष 2006 में संशोधित किया गया था । 2000 के विनियमों के अनुसार, विनियम 1.3.3 में प्राध्यापक के लिए अर्हताएं निम्नलिखित रूप से उपबंधित थीं :–

---

* अंग्रेज़ी में यह इस प्रकार है :–

"They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette of India."

*"1.3.3 प्राध्यापक

किसी भारतीय विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय में मास्टर डिग्री या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से किसी समतुल्य डिग्री स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत अंक या पश्चात्वर्ती ग्रेड ओ,ए,बी,सी,डी,ई और एफ सहित 7 बिन्दु स्केल में बी के समतुल्य ग्रेड सहित उत्तम शैक्षणिक अभिलेख ।

अभ्यर्थियों को उपर्युक्त अर्हताएं पूरी करने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी.एस.आई.आर. द्वारा प्राध्यापकों के लिए संचालित पात्रता परीक्षा (नेट) या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित समरूप परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए ।

टिप्पण : प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पीएच.डी. डिग्री धारण करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी नेट अनिवार्य अपेक्षा बनी रहेगी । तथापि, उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने 31 दिसम्बर, 1993 तक एम.फिल. डिग्री पूरी कर ली है या संबंधित विषय में पीएच.डी. थीसिस प्रस्तुत कर दी हैं, नेट परीक्षा में बैठने से छूट प्रदान की जाती है ।"

16. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ऊपर उल्लिखित विनियमों में संशोधन किए गए थे और तारीख 11 जुलाई, 2009 के संशोधन सुसंगत थे जबकि विनियम 1.3.3 में अंतर्विष्ट टिप्पण को निम्नलिखित

---

* अंग्रेज़ी में यह इस प्रकार है :–

"1.3.3 Lecturer

Good academic record with at least 55% of the marks or, an equivalent grade of B in the 7 point scale with latter grades O, A, B, C, D, E and F at the Master's degree level, in the relevant subject from an Indian University, or. an equivalent degree from a foreign university.

Besides fulfilling the above qualifications, candidates should have cleared the eligibility test (NET) for lecturers conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC.

Note: NET shall remain the compulsory requirement for appointment as Lecturer even for candidates having Ph.D. degree. However, the candidates who have completed M.Phil. Degree or have submitted Ph.D. thesis in the concerned subject upto 31st December, 1993, are exempted from appearing in the Net examination."

द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था :–

> *"विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में प्राध्यापकों की भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/एस.एल.ई.टी. न्यूनतम पात्रता शर्त रहेगी ।
>
> परन्तु, तथापि उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. डिग्री देने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 का अनुपालन करते हुए पीएच.डी. डिग्री दी जाती है या दी गई है, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थाओं में सहायक आचार्य या समतुल्य पदों पर भर्ती और नियुक्ति के लिए नेट/एस.एल.ई.टी. की न्यूनतम पात्रता शर्त की अपेक्षा से छूट प्राप्त होगी ।"

17. यह अवेक्षणीय है कि न्यूनतम अर्हता में जो संशोधन किया गया है उसमें अब यह उपबंध है कि पीएच.डी. डिग्री धारकों को नेट से छूट केवल तभी दी जाएगी जब उन्हें पीएच.डी. डिग्री यू.जी.सी. (न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुपालन में दी गई हो । अतः, उक्त उपबंध यह आज्ञापक बनाता है कि प्राध्यापक के लिए नेट अर्हता आवश्यक है और छूट केवल उन पीएच.डी. डिग्री धारकों को प्रदान की जाएगी जिन्होंने यू.जी.सी. (न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुसार पीएच.डी. डिग्री अभिप्राप्त की है । यू.जी.सी. (न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 तथा यू.जी.सी. (नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं) विनियम, 2009 दोनों विनियमों में उपर्युक्त संशोधन करने का प्रयोजन और उद्देश्य ढूंढना कठिन नहीं है । यू.जी.सी. (नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं) विनियम, 2009 में किए गए उन संशोधनों को चुनौती दी

---

* अंग्रेज़ी में यह इस प्रकार है :–

> "NET/SLET shall remain the minimum eligibility condition for recruitment and appointment of Lecturers in Universities/Colleges/ Institutions.
>
> Provided, however, that candidates, who are or have been awarded Ph.D. Degree in compliance of the University Grants Commission (minimum standards and procedure for award of Ph.D. Degree), Regulation 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET for recruitment and appointment of Assistant Professor or equivalent positions in Universities/Colleges/ Institutions."

गई है जिनके द्वारा उन पीएच.डी. डिग्री धारकों को इस फायदे से इनकार किया गया है जिन्होंने 11 जुलाई, 2009 के पूर्व पीएच.डी. डिग्री अभिप्राप्त की थी । विभिन्न उच्च न्यायालयों में विनियमों को विभिन्न आधारों पर चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं फाइल की गई थीं, जिनमें यह आधार भी है कि ये विनियम मनमाने और अनुच्छेद 14 के अतिक्रमणकारी हैं जिसके द्वारा ऐसे पीएच.डी. डिग्री धारकों, जिन्होंने 11 जुलाई, 2009 से पूर्व पीएच.डी. डिग्री अभिप्राप्त की है और उन पीएच.डी. धारकों के बीच, जिन्होंने यू.जी.सी. (न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुसार 11 जुलाई, 2009 के पश्चात् डिग्री अभिप्राप्त की है, विभेद किया गया है ।

18. विभिन्न उच्च न्यायालय द्वारा विनियमों को दी गई चुनौती का खंडन कर दिया गया था जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **डा. रमेश कुमार यादव और एक अन्य** बनाम **इलाहाबाद विश्वविद्यालय और अन्य**[1] वाले मामले में तारीख 6 अप्रैल, 2012 के अपने निर्णय द्वारा उस चुनौती को कायम रखा है । राजस्थान उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उन अभ्यर्थियों द्वारा जिनकी रिट याचिकाएं खारिज कर दी गई थी तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 6 अप्रैल, 2012 के उस निर्णय के विरुद्ध जिसके द्वारा अभ्यर्थियों की दलील को कायम रखा गया था, अपीलें फाइल की गई थीं । इस न्यायालय ने **पी. सुशीला और अन्य** बनाम **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य**[2] वाले मामले में प्रतिवेदित अपने निर्णय द्वारा सभी अपीलों को विनिश्चित किया था । इस न्यायालय ने राजस्थान, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालयों के निर्णयों को कायम रखा और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 6 अप्रैल, 2012 के उस निर्णय को अपास्त कर दिया जिसके द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यू.जी.सी. (न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 में किए गए संशोधन विधिमान्य थे और उन अभ्यर्थियों, जिन्होंने यू.जी.सी. (न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2009 से पूर्व डिग्री अभिप्राप्त की थी और उन अभ्यर्थियों, जिन्होंने उपर्युक्त विनियमों के अनुसार डिग्री अभिप्राप्त की थी, के बीच वर्गीकरण विधिमान्य है ।

19. इस प्रकार, प्राइवेट प्रत्यर्थी की दलील को नामंजूर करते हुए,

---

[1] (2013) 4 इलाहाबाद ला जर्नल 635.

[2] (2015) 8 एस. सी. सी. 129.

पैरा 16, 17 और 18 में निम्नलिखित रूप में अधिकथित किया गया था :–

"16. तथ्यों के आधार पर यह मामला भी वैसा ही है । कोई निहित अधिकार केवल तभी उद्भूत होगा यदि हमारे समक्ष अपीलार्थियों में से किसी एक को प्राध्यापक/सहायक आचार्य के पद पर वास्तव में नियुक्त किया गया था । उस तारीख तक, अपीलार्थियों में से किसी एक का कोई निहित अधिकार नहीं है । अपीलार्थी अधिक से अधिक केवल यह दलील दे सकते हैं कि उन्हें प्राध्यापक/सहायक आचार्य के पद के लिए विचार में लिए जाने का अधिकार प्राप्त है । यह अधिकार सदैव न्यूनतम पात्रता शर्तों के अध्यधीन है और जब तक अपीलार्थियों को नियुक्त नहीं कर लिया जाता, भिन्न-भिन्न अंतरालों पर भिन्न-भिन्न शर्तें अधिकथित की जा सकती हैं । मात्र इस कारण कि नेट परीक्षा के रूप में कोई अतिरिक्त पात्रता शर्त अधिकथित की गई है, यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि अपीलार्थियों के किसी निहित अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और न ही इसका अर्थ यह है कि ऐसी न्यूनतम पात्रता शर्त अधिकथित करने वाला विनियम प्रवर्तन की दृष्टि से भूतलक्षी होगा । ऐसी शर्त केवल भविष्यलक्षी होगी क्योंकि यह केवल नियुक्ति के प्रक्रम पर ही लागू होगी । अतः, यह स्पष्ट होता है कि हमारे समक्ष वाले प्राइवेट अपीलार्थियों की दलीलें अवश्य ही असफल होनी चाहिएं ।

17. याचियों के काउन्सेलों में से एक विद्वान् काउन्सेल ने यह दलील दी कि केन्द्रीय सरकार के तारीख 12 नवम्बर, 2008 के निदेश की भाषा के आधार पर सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से केवल यह कराना चाहती थी कि नेट को "साधारण रूप से" एक अर्हता के रूप में विहित किया जाए । किन्तु इसका अर्थ यह नहीं था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह अर्हता किसी छूट का उपबंध किए बिना विहित करनी थी । हम इस दलील को मात्र इस कारण स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि "साधारण रूप से" शब्दों से पहले "अनिवार्य" शब्द आता है और यह स्पष्ट है कि यू.जी.सी. के 2009 और 2010 के विनियमों द्वारा इस निदेश की भाषा का अनुसरण भाषा और भाव दोनों की दृष्टि से किया गया है ।

18. अनुच्छेद 14 पर आधारित दलीलों को भी समान रूप से नामंजूर करना होगा । यह स्पष्ट है कि यू.जी.सी. के 2009/2010 के

विनियमों के साथ पठित केन्द्रीय सरकार के निदेशों का उद्देश्य उच्चतर शिक्षा के स्तर में उत्कृष्टता बनाए रखना है । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी न्यूनतम पात्रता शर्त अधिकथित की गई है । यह सही है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इससे पूर्व अधिकथित छूटें हो सकती हैं किन्तु केन्द्रीय सरकार अब नीति स्वरूप यह महसूस करती है कि इसमें छूट देना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शासित विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों/संस्थाओं में शिक्षण स्तर की उत्कृष्टता के साथ समझौता करना होगा । स्पष्टतः, इसमें कुछ भी मनमाना या विभेदकारी नहीं है - वास्तव में, यह देखना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कृत्य है कि ऐसे स्तर कम न होने पाएं ।"

20. अतः, उपर्युक्त निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए अब नेट अर्हता न्यूनतम अर्हता है और एम. फिल. डिग्री धारकों को अनुदत्त छूट वापस ले ली गई है और छूट केवल ऐसे पीएच.डी. डिग्री धारकों को अनुज्ञात है जिन्होंने 11 जुलाई, 2009 के विनियमों, अर्थात् यू.जी.सी. (न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. डिग्री अभिप्राप्त की है । यद्यपि, उच्च न्यायालय द्वारा इस पहलू की अवेक्षा नहीं की गई है किन्तु चूंकि विद्वान् एकल न्यायाधीश ने रिट याची के मामले पर ऐसी एम. फिल. डिग्री के आधार पर, जो कि उनके द्वारा दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा वर्ष 2009 से पूर्व अभिप्राप्त की गई थी, विचार करने का निदेश दिया है इसलिए यह आवश्यक है कि उस पद के लिए उनकी पात्रता की परीक्षा यू.जी.सी. (नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता) विनियम 2009 पर विचार करते हुए की जाए । अतिथि प्राध्यापकों के लिए विज्ञापन और चयन का संचालन वर्ष 2012 में किया गया था जब यू. जी. सी. (न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2009 और यू.जी.सी. (नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता) विनियम, 2009 दोनों लागू थे ।

21. अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है कि क्या विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय के पश्चात् रिट याचियों का परिणाम घोषित किया गया था और उनका चयन किया गया था या उन्हें नियुक्त किया गया था । इस न्यायालय ने 16 अगस्त, 2003 का एक अंतरिम आदेश भी पारित किया है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रवर्तन को तीन मास की अवधि के लिए रोक दिया गया था । अंतरिम आदेश को विस्तारित करते हुए कोई अगला आदेश पारित नहीं किया गया है ।

22. अतः, हमारा यह मत है कि इस अपील में उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, तथापि अपीलों का निपटारा इस निदेश के साथ किया जाता है कि रिट याची की पात्रता के संबंध में यू.जी.सी. (नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता) विनियम 2009 को भी विचार में लेते हुए किया जाए ।

23. तद्नुसार दोनों अपीलों का निपटारा किया जाता है ।

अपीलों का तद्नुसार निपटारा किया गया ।

ग्रो.

[2018] 3 उम. नि. प. 153

राजेन्द्र राजोरिया

बनाम

जगत नारायण थापक और एक अन्य

23 फरवरी, 2018

न्यायमूर्ति एन. वी. रमना और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 398 – न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज किए गए परिवाद में सेशन न्यायालय द्वारा आगे जांच करने का आदेश देते हुए मामला प्रतिप्रेषित किया जाना – मामले के गुणागुण पर कारणों का उल्लेख किया जाना – सेशन न्यायालय द्वारा गुणागुण के आधार पर की गई ऐसी मताभिव्यक्तियां संज्ञान करने की कोटि में नहीं आती हैं, अतः उच्च न्यायालय द्वारा सेशन न्यायालय के आदेश का स्पष्ट रूप से गलत अर्थान्वयन करने के कारण उसके आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 190(1) – अपराध का संज्ञान – मजिस्ट्रेट को परिवाद पर कार्यवाही करने के लिए समाधानप्रद आधारों के बारे में अपना समाधान कर लेना चाहिए तथा मजिस्ट्रेट के लिए विस्तारपूर्वक कारण देना अपेक्षित नहीं है किंतु संज्ञान करने वाले आदेश में उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर स्वतंत्रतापूर्वक मस्तिष्क का